



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 21/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
गोपीराम अग्रवाल आर टी आई रिसर्च सेन्टर, बांसवाडा,, बांसवाड़ा, राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 23-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री रणवीर सिंह, अधिशाषी अभियन्ता उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 26-12-2016 के द्वारा दिनांक 25-12-2016 को प्रस्तुत परिवाद पर की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 09-01-2017 को प्राप्त हुआ। पत्र दिनांक 19-01-2017 से एक पृष्ठ की सूचना के लिए 2 रूपये की मांग की गई। यह राशि अपीलार्थी ने जमा नहीं कराई। प्रथम अपील पेश होने ने पर प्रथम अपील अधिकारी ने निर्णय दिनांक 20-02-2017 से निर्देशित किया कि अपीलार्थी यदि 2 रूपये जमा करा देवे तो सूचना प्राप्त कर सकता है। अपील निस्तारित की गई। अपीलार्थी ने प्रथम अपील के निर्णय के बाद में राशि जमा नहीं कराई है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 31-01-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित है। जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 19-01-2017, प्रथम अपील निर्णय दिनांक 20-02-2017 की प्रति संलग्न की है।
7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलार्थी के द्वारा शुल्क जमा नहीं कराने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः प्रत्यर्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में यदि अपीलार्थी वांछित शुल्क जमा करा देवे तो अपीलार्थी को अभिलेखानुसार अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर, सूचना पंजीकृत डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त